भारत सरकार
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3012
बुधवार, दिनांक 19 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>तमिलनाडु में सौर पार्क</u>

3012. श्री नवसकनी के.:
श्री सी.एन. अन्नादुरईः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सौर पार्कों और अल्ट्रा-मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए योजना के अंतर्गत अब तक स्वीकृत सौर पार्कों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत चालू की गई कुल सौर ऊर्जा क्षमता कितनी है;

(ग) तमिलनाडु में चालू सौर पार्कों की संख्या और उनकी कुल स्थापित क्षमता कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने सौर पार्क योजना के अंतर्गत घरेलू सौर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो इन पार्कों के भीतर सौर पैनल और उपकरण विनिर्माण के लिए क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं;

(ङ) रुकावटों के मुद्दों को दूर करने के लिए सौर पार्कों और ऊर्जा भंडारण समाधानों के बीच एकीकरण की स्थिति क्या है;

(च) अल्ट्रा-मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास और वित्तपोषण में निजी क्षेत्र की भूमिका और बड़े पैमाने पर सौर परियोजनाओं में निवेश को आकर्षित करने के लिए दिए गए प्रोत्साहन क्या हैं; और

(छ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि टैरिफ दरें उपभोक्ताओं के लिए प्रतिस्पर्धी और सस्ती बनी रहें?

उत्तर
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) दिनांक 28.02.2025 की स्थिति के अनुसार, सरकार ने "सौर पार्कों और अल्ट्रा-मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं का विकास" योजना के अंतर्गत 55 सौर पार्क स्वीकृत किए हैं।

(ख) इस योजना के अंतर्गत सौर पार्कों में कुल मिलाकर 12,396 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाएं स्थापित की गई हैं।

(ग) वर्तमान में तमिलनाडु राज्य में इस योजना के अंतर्गत कोई सौर पार्क स्वीकृत नहीं किया गया है।

(घ) सौर पार्क योजना सौर उत्पादों जैसे सौर सेलों/मॉड्यूलों आदि के विनिर्माण की अनुमति देती है।

इसके अतिरिक्त, सरकार 24,000 करोड़ रुपये के परिव्यय से उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूलों में गीगावाट स्तर की स्वदेशी विनिर्माण क्षमता हासिल करने हेतु उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूलों के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना कार्यान्वित कर रही है। इस योजना में उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूलों के विनिर्माण और बिक्री पर, चालू होने के बाद के पांच वर्षों के लिए चयनित सौर पीवी मॉड्यूल विनिर्माताओं को उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) का प्रावधान है।

(ङ) सरकार ने पहले ही सभी अक्षय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों (आरईआईए) और राज्य कंपनियों को अपनी निविदाओं में न्यूनतम 2 घंटे की सह-स्थित ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को शामिल करने हेतु एक सलाह (एडवाइजरी) जारी की है ताकि अनिरंतरता संबंधी मुद्दों का समाधान किया जा सके।

इसके अलावा, सरकार ने 3,760 करोड़ रुपये के बजटीय सहयोग से बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (बीईएसएस) के विकास के लिए व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) की योजना को भी अनुमोदन दिया है।

(च) देश में अल्ट्रा-मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं के विकास और वित्तपोषण में निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्तमान में, अधिकांश उपयोगिता-स्तरीय सौर विद्युत परियोजनाएँ पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित निजी डेवेलेपरों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं। ये सौर परियोजनाएं स्वदेशी और अंतर्राष्ट्रीय दोनों निवेशों का उपयोग करके स्थापित की जाती हैं। ऐसे निवेशों को प्रोत्साहित करने के लिए, देश में सौर विद्युत परियोजनाओं सहित अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए ऑटोमेटिक रूट के माध्यम से 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति है।

(छ) सरकार ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अंतर्गत ग्रिड कनेक्टेड सौर, पवन, पवन-सौर हाइब्रिड और सतत एवं प्रेषण योग्य अक्षय ऊर्जा (एफडीआरई) परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया हेतु मानक बोली दिशानिर्देश जारी किए हैं।

इन दिशानिर्देशों का विशिष्ट उद्देश्य, अन्य के साथ-साथ, वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा बिजली की प्रतिस्पर्धी खरीद को बढ़ावा देना है।

*****